फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री डालु **विपक्षी :– श्री गोटु**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का.अधि. **पत्रावली संख्या : 70/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 14.04.2022 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प साकरोदा में पेश हुई। अधिवक्ता मय प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वादी का नाम संशोधित किया जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम लाला पिता वरदा गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रतिवादी सं. 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर पूर्व में इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी सं. 5 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की जाती हैं। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी नकल, सेटलमेन्ट की नकल, दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, भामाशाह कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वादी का नाम डालु पिता वरदा अंकित है। तहसीलदार मावली व पटवारी हल्का साकरोदा की रिपोर्ट में भी लाला व डालु को एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। अतः राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा की आराजी नम्बर 282 किता 1 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि में खातेदार लाला पिता वरदा के बजाय लाला उर्फ डालु पिता वरदा संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(श्रवण सिंह राठौड)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.04.19 13:57:16 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रवण सिंह राठौड, R.A.S

उनवान

1. श्री डालु पिता वरदा मेघवाल निवासी साकरोदा तह. मावली।

...................वादी

बनाम

1. श्री गोटु पिता हीरा मेघवाल निवासी साकरोदा तह. मावली।
2. श्री गोकल पिता हीरा मेघवाल निवासी साकरोदा तह. मावली।
3. श्रीमती उमाबाई पुत्री हीरा पत्नी भीमा मेघवाल निवासी साकरोदा हाल देपर तह. नाथद्वारा।
4. श्रीमती भमरीबाई पुत्री हीरा पत्नी लोगर मेघवाल निवासी साकरोदा हाल बडियार तह. मावली।
5. श्रीमती लछमी पुत्री गोदा पत्नी गोपीलाल मेघवाल निवासी साकरोदा हाल निचली ओडन तह. नाथद्वारा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।
7. पटवारी, पटवार हल्का साकरोदा तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 70/19 (वाद) GCMS No. – 2019/00100

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रवण सिंह राठौड, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा की आराजी नम्बर 282 किता 1 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि में खातेदार लाला पिता वरदा के बजाय लाला उर्फ डालु पिता वरदा संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.04.2022 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.04.19 13:57:16 IST
Reason: SelfAttested